अनुबंध I

संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) का वित्तपोषण

जेएलजी के वित्तपोषण की मूलभूत संकल्पना और दृष्टिकोण को अपरिवर्तित रखते हुए (नाबार्ड/आईबीए द्वारा बैंकों को पहले परिचालित और परिशिष्ट में प्रस्तुत दिशानिर्देशों के अनुसार) नाबार्ड ने कृषि और कृषीतर गतिविधियों दोनों के लिए एक मिशन के रूप में जेएलजी के वित्तपोषण के प्रति संशोधित दृष्टिकोण अपनाया है।

1. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के भीतरी और बाहरी सदस्यों के संयुक्त देयता समूह संभव

एसएचजी समूह में कुछ ऐसे सदस्य हो सकते हैं जो अन्य सदस्यों की तुलना में ऐसी आर्थिक गतिविधियां शुरू करने या उनका विस्तार करने जिन्हें उच्च स्तर के ऋण आवश्यक होंगे, में तत्पर हों। ऐसे मामले में अन्य सदस्य बड़ी राशि के ऋण के लिए इन सदस्यों को पारस्परिक गारंटी देना संभवत: पसंद न करें। ऐसे मामलों में एक या अधिक एसएचजी के ऐसे सदस्यों का "संयुक्त देयता समूह (जेएलजी)" निर्माण किया जा सकता है। जेएलजी के सदस्य एसएचजी के सदस्य बने रहेंगे और पहले की तरह एसएचजी की गतिविधियों में भाग लेते रहेंगे। बैंक एसएचजी के भीतर ऐसे उद्यम / आजीविका आधारित जेएलजी के निर्माण को प्रोत्साहन दे सकते हैं। बैंक इन जेएलजी का एसएचजी को दिए गए ऋण/ ऋण सीमा के अतिरिक्त वित्तपोषण कर सकते हैं।

ऐसे कतिपय छोटे किसान/सीमांत किसान/कास्तकार/मौखिक पट्टेदार/बंटाईदार/माइक्रो उद्यमी/कारीगर होंगे जो अब तक एसएचजी में समाविष्ट न हुए हो। उन्हें भी आजीविका/कृषि गतिविधियां शुरू करने के लिए बैंक ऋण की आवश्यकता होगी। ऐसे सदस्यों से गठित जेएलजी को भी बैंकों द्वारा पर्याप्त ऋण सहायता प्रदान की जा सकती है।

2. जेएलजी के संवर्धन में समूह दृष्टिकोण

बैंक कृषि तथा कृषि सम्बद्ध गतिविधियों एवं कृषीतर गतिविधियों के लिए भी समूह आधार पर जेएलजी के संवर्धन और वित्तपोषण हेतु प्रयास कर सकते हैं। इससे न केवल इन समूहों के प्रशिक्षण और बेहतर निगरानी रखने में सहायता होगी बल्कि इससे ये समूह कुछ समय बाद उत्पादक समूह से जुड़ने में सक्षम बन जाएंगे।

ऐसे दृष्टिकोण से जेएलजी को कृषि मूल्य श्रृंखला में धनात्मक रूप से योगदान देने और बड़े पैमाने की किफायतों का स्तर बढ़ाते हुए कृषि उत्पादन तथा उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायता मिलेगी। यह दृष्टिकोण विशेष रूप से विकसित वाटर शेड, आदिवासी क्षेत्र की योजनाओं और उत्पाद आधारित समूहों के कमान क्षेत्रों में कारगर होगा।

3. बैंक वित्त के लिए संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) का मूल्यांकन

अधिकांश बैंकों ने जेएलजी के वित्तपोषण के लिए अपनी स्व-मूल्यांकन तकनीक विकसित की होंगी। वित्तपोषण करने वाले बैंकों द्वारा प्रयोग में लाने के लिए नाबार्ड द्वारा दिया गया निदर्शी मूल्यांकन

टूल अनुबंध II में दिया गया है। जेएलजी का मूल्यांकन और वित्तपोषण करते समय बैंक या तो निदर्शी टूल या अपने स्व-मूल्यांकन टूल का प्रयोग करें।

4. प्रशिक्षण आवश्यकताएं

जेएलजी के वित्तपोषण के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण में बहु-स्तरीय हस्तक्षेप आवश्यक है जैसे बैंक स्तर पर, प्रवर्तक संस्था के स्तर पर और जेएलजी स्तर पर। इस प्रयास में बैंक अधिकारियों को क्षेत्र स्तरीय और नियंत्रक कार्यालय स्तरीय प्रशिक्षण देना आवश्यक है। बैंक जेएलजी वित्तपोषण में अपने स्टाफ को प्रशिक्षण देने के लिए अपने प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों को लिवरेज करें। नाबार्ड शाखा स्तरीय स्टाफ के लिए बैंक विशिष्ट कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करेगा और उन्हें आयोजित करेगा तथा अपने मध्यम स्तरीय/वरिष्ठ अधिकारियों के लिए उपयुक्त जागरुकता कार्यक्रम भी आयोजित करेगा। बैंक इसके लिए नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों को विशेष अनुरोध भेज सकते हैं। वह एनजीओ, किसान क्लब, केवीके जैसी संस्थाओं, सरकारी विभागों, आदि को जेएलजी के संवर्धन के लिए प्रचारात्मक उपाय और क्षमता निर्माण की पहल के लिए समर्थन देना जारी रखेगा।

5. जेएलजी के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन

नाबार्ड नये जेएलजी के गठन, परिपोषण और वित्तपोषण के लिए बैंकों और अन्य जेएलपीआई को प्रति जेएलजी 2,000/- रुपए की दर से सहायता भी प्रदान करेगा। बैंक नाबार्ड और अन्य जेएलजी प्रवर्तक संस्थाओं (जेएलपीआई) के साथ त्रिपक्षीय करार करने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं जहां वे जेएलजी को ऋण सहायता देने का दायित्व लेंगे और नाबार्ड जेएलपीआई को जेएलजी के संवर्धन और परिपोषण के लिए सहायता प्रदान करेगा। बैंक द्वारा अपने स्टाफ या जेएलपीआई की तरह व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) / व्यवसाय सुविधाप्रदाता (बीएफ) का जेएलपीआई के रूप में प्रयोग करने पर भी यह प्रोत्साहन उपलब्ध होगा। प्रोत्साहन जेएलजी के वित्तपोषण के साथ सम्बद्ध होगा। प्रोत्साहन की राशि निम्नानुसार तीन किस्तों में जारी की जाएगी।

- बैंक द्वारा ऋण वितरण के बाद 1,000/- रुपए की पहली किस्त जारी की जाएगी।
- ऋण वितरण की तारीख से एक वर्ष के बाद 500/- रुपए की दूसरी किस्त जारी की जाएगी बशर्ते वित्तपोषण करने वाले बैंक द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र दिया जाए कि जेएलजी के सभी वैयक्तिक सदस्यों द्वारा (मॉडल 'क' प्रकार के जेएलजी के मामले में) / समूह के रूप में जेएलजी (मॉडल 'ख' प्रकार के जेएलजी के मामले में) द्वारा ऋण चुकौती नियमित रूप से/ चूक किए बिना हो रही है।
- ऋण वितरण की तारीख से दो वर्ष के बाद 500/- रुपए की तीसरी किस्त जारी की जाएगी बशर्ते वित्तपोषण करने वाले बैंक द्वारा उपर्युक्त प्रकार का प्रमाणपत्र दिया जाए। अल्पावधि ऋणों/केसीसी/जीसीसी के मामले में यह तभी उपलब्ध होगी जब बैंक द्वारा वर्ष के दौरान सुविधा का नवीकरण किया गया हो और वह नियमित हो।
- कृपया इसे नोट करें कि जेएलजी के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन केवल ऐसे मामलों में उपलब्ध होगा जहां जेएलजी के संवर्धन के लिए नाबार्ड से पूर्व-अनुमति ली गई हो।

6. बीसी/बीएफ के माध्यम से जेएलजी का वित्तपोषण

अब पैरा 5 में उल्लेख किए गए अनुसार जेएलजी के वित्तपोषण के लिए बीसी/बीएफ की सेवाओं का लाभ लेने के लिए बैंकों को प्रोत्साहन उपलब्ध होगा। जेएलजी के वित्तपोषण में बीसी/बीएफ की सेवाओं का लाभ उठाने से बैंक न केवल लक्षित जनता को दिए जाने वाले ऋण प्रवाह में वृद्धि कर सकेंगे बल्कि जेएलजी के वित्तपोषण में अपनी समग्र आस्ति गुणवत्ता में सुधार भी ला सकेंगे।

7. नाबार्ड पुनर्वित्त

नाबार्ड द्वारा निवेश ऋण के अंतर्गत सभी बैंकों को उनके द्वारा जेएलजी को दिए गए उधार के आधार पर शत-प्रतिशत पुनर्वित्त सहायता प्रदान की जाएगी।

8. जेएलजी के माध्यम से वित्तपोषण पर निगरानी और समीक्षा

भारत सरकार द्वारा भूमिहीन किसान समूहों को जेएलजी के माध्यम से वित्तपोषण की प्रणाली के माध्यम से वित्तपोषण करने को दी जा रही प्राथमिकता को ध्यान में लेते हुए बैंकों को नियमित आधार पर विभिन्न स्तरों पर प्रगति पर बारीकी से निगरानी रखनी चाहिए। अत: एसएलबीसी, डीसीसी और बीएलबीसी बैठकों के विचारार्थ एजेंडा में जेएलजी वित्तपोषण पर निगरानी को नियमित मद के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। बैंकों के उच्चतम कारपोरेट स्तर पर तिमाही आधार पर इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। जेएलजी वित्तपोषण पर मासिक आधार पर प्रगति रिपोर्ट अनुबंध III में दिए गए फार्मेट के अनुसार नाबार्ड के सूक्ष्म ऋण नवोत्पाद विभाग (माइक्रो क्रेडिट इनोवेशन्स डिपार्टमेंट), मुंबई को प्रेषित की जाए।

अनुबंध II

वित्तपोषण करने वाले बैंकों द्वारा संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) के वित्तपोषण के लिए सुझाए गए रेटिंग मानदंड

क्रम संख्या	**पैरामीटर**	**आकलन के साधन**	**प्रति पैरामीटर अधिकतम अंक**	**कार्य-निष्पादन**	**मूल्य (अंक)**	**प्राप्त अंक**
1	समूह का आकार और समूह की रचना	समूह के साथ साक्षात्कार	3	आकार - 4 से 10 सदस्य समरूप (समान आर्थिक स्थिति/आजीविका) जिनका स्थान एक-दूसरे से अत्यंत निकट है	1 1 1	
2	विशेष एजेंसी/ एसोसिएशन@ से सहायता की उपलब्धता	समूह के साथ चर्चा	1	जेएलजी के गठन से पहले उपलब्ध सहायता और वैयक्तिक सदस्यों की स्क्रिनिंग	1	
3	कार्यरत जेएलजी का ज्ञान या जेएलजी पर प्राप्त प्रशिक्षण	समूह के सदस्यों के साथ परस्पर संपर्क (इंटरऐक्शन) / सदस्यों का प्रोफाइल/ प्रवर्तक जेएलजीपीआई	1	जेएलजी के कार्य पर प्रशिक्षण प्राप्त/ जेएलजी की जानकारी है	1	
4	प्रस्तावित गतिविधि की संभावना और समूह के सदस्यों के कौशल	समूह के सदस्यों के साथ परस्पर संपर्क (इंटरऐक्शन) /	2	गतिविधियां संभावनायुक्त हैं और सदस्यों में पर्याप्त कौशल है गतिविधियां संभावना युक्त हैं परंतु सदस्यों में पर्याप्त कौशल नहीं है		

5	जेएलजी/सदस्यों द्वारा किए जाने वाले निवेश की व्यावहारिकता	समूह के सदस्यों के साथ परस्पर संपर्क	2	प्रस्तावित निवेश वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य है		
6	बैंक के साथ ऋण सहबद्धता के बाद जेएलजी के स्वयंसेवकों द्वारा या बीएफ /बीसी/ जेएलजीपीआई* के माध्यम से निगरानी	बैंकर के साथ चर्चा	1	उपलब्ध		
	कुल					

टिप्पणी : 10 में से 6 अंक पानेवाला जेएलजी ऋण सहबद्धता के लिए पात्र होगा।

@ प्रारंभिक ग्राहक स्तरीय स्क्रीनिंग उस एसोसिएशन/संस्था अर्थात छोटे-मोटे (पेटी) व्यवसाय के व्यापारी एसोसिएशन, मत्स्य पालन उद्योग एसोसिएशन, किसान क्लब, उत्पादक, संगठन, अन्य हितकारी समूह, आदि, द्वारा की जाती है जिसके साथ जेएलजी सदस्यों के सम्बद्ध होने की संभावना है।

* 'जेएलजीपीआई' : संयुक्त देयता समूह प्रवर्तक संस्था

अनुबंध III

जेएलजी के वित्तपोषण के अंतर्गत राज्यवार प्रगति की रिपोर्टिंग के लिए फार्मेट

वित्तपोषण करने वाले बैंक का नाम

______________________________ ------------- माह के अंत में प्रगति

(लाख रुपए)

क्रम सं.	राज्य	माह के दौरान वित्तपोषित जेएलजी की संख्या		वर्ष के दौरान जेएलजी को वितरित ऋण		बकाया ऋण	
		कृषि आधारित	कुल	कृषि आधारित	कुल	जेएलजी की संख्या	राशि

परिशिष्ट

संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) के माध्यम से वित्तपोषण करना

बुनियादी धारणाएं तथा दृष्टिकोण (एप्रोच)

1. उद्देश्य :

- कास्तकारों के रूप में खेती करने वाले भूमीहीन किसानों, मौखिक पट्टेदारों अथवा बंटाईदारों और छोटे/सीमांत किसानों तथा कृषि कार्य करने वाले, कृषि से इतर (ऑफ फार्म) और कृषीतर कार्य करनेवाले अन्य निर्धन व्यक्तियों को क्रेडिट का प्रवाह बढ़ाना;
- लक्षित समूह को उपलब्ध कराए जानेवाले ऋण के लिए संपार्श्विक विकल्प के रूप में कार्य करना;
- बैंक और लक्षित समूह के मध्य आपसी विश्वास बनाना;
- समूह अप्रोच, क्लस्टर अप्रोच, समान शिक्षा व ऋण अनुशासन से बैंकों के ऋण संविभाग (पोर्टफोलियो) का जोखिम कम करना;
- वृद्धिशील कृषि उत्पादन, उत्पादकता और आजीविका के साधन बढ़ाने में संयुक्त खेती कार्य और क्लस्टर एप्रोच द्वारा समाज के कमजोर वर्ग को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।

2. संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) की विशेषताएं :

संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) 4 से 10 व्यक्तियों का अनौपचारिक समूह है जो अकेले या समूह व्यवस्था के माध्यम से आपसी गारंटी देकर बैंक से ऋण लेने के लिए बनाया जाता है। आम तौर पर, समूह के सदस्य एक ही प्रकार के आर्थिक कार्यकलापों में कार्यरत होते हैं। कतिपय समूहों में सदस्य विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां करना भी पसंद कर सकते हैं। ऋण प्राप्त करने की सक्षमता के लिए सदस्य बैंक को एक संयुक्त वचन देंगे। संयुक्त देयता समूह के सदस्यों से पेशेवर और सामाजिक गतिविधियों में एक दूसरे की सहायता करना अपेक्षित होता है।

3. सदस्यता के लिए मानदंड :

i. सदस्य एक जैसी सामाजिक आर्थिक हैसियत, पृष्ठभूमि और वातावरण के होने चाहिए जो खेती करते हों या उससे संबंधित काम और जो जेएलजी के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हो। इस प्रकार, ये समूह समरूप (होमोजीनस) तथा एक विचार के किसानों / व्यक्तियों द्वारा संगठित होंगे और इनमें आपसी सम्मान और विश्वास पनपेगा।

ii. इसके सदस्य एक ही गांव में / क्षेत्र में / पड़ोस में रहनेवाले होने चाहिए तथा उनमें समूह / व्यक्तिगत ऋण का संयुक्त दायित्व लेने के लिए पर्याप्त आपसी पहचान तथा विश्वास होना चाहिए।

iii. ऐसे सदस्यों को समूह सदस्यता से हटा देना चाहिए जो विगत में किसी अन्य औपचारिक वित्तीय संस्था के चूककर्ता सदस्य हों।

iv. एक ही जेएलजी में एक ही परिवार से एक से अधिक सदस्य शामिल नहीं किए जाने चाहिए।

4. समूह दृष्टिकोण (एप्रोच) :

i. समूह के सभी सदस्य जेएलजी की गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए समूह का नेतृत्व संभालने लायक पर्याप्त सक्रिय होने चाहिए। जेएलजी के लिए प्रभावी/सक्षम/सक्रिय नेता का चयन आवश्यक है क्योंकि इससे जेएलजी के सभी सदस्यों को लाभ होगा। नेता को एकता, अनुशासन को बढ़ावा देना चाहिए, सूचना का आदान-प्रदान करना चाहिए और चुकौतियों में सहायता करनी चाहिए। बैंक के लिए वह समूह की गतिविधियों के लिए केंद्र बिंदु होगा, हालांकि सभी सदस्यों का संयुक्त रूप से तथा पृथक रूप से दायित्व होता है।

ii. समूह के आपसी हितों पर चर्चा के लिए समूह की नियमित बैठकें की जानी चाहिए जिनमें सभी सदस्यों की नियमित उपस्थिति जरूरी है।

iii. स्वयं सहायता समूह के सिद्धांतों और समूह की संख्या पर बल दिया जाना चाहिए। समूह की संशक्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। समूह/सदस्यों की भूमिकाओं, उनसे की जानेवाली उम्मीदों और कार्यों तथा समूह शक्ति के लाभ पर पर्याप्त बल दिया जाना चाहिए।

iv. जेएलजी बाजार सूचना के प्रति सामान्य पहुंच को सुविधाजनक बनाते हुए टेक्नालॉजी के लिए ट्रान्सफर, भूमि परीक्षण, प्रशिक्षण एवं निविष्टि (इनपुट) अपेक्षाओं के निर्धारण के लिए सहजता से एक माध्यम के रूप में कार्य कर सकता है।

v. जेएलजी को दलहन/सब्जियों/फल के उत्पादन जैसी विशेष गतिविधि के लिए गांव/ब्लाक स्तर पर महासंघ बनाए जाए जिससे कि उत्पाद का विकास हो सके।

vi. समूह के सुस्थापित होने के बाद वे आपस में मिलकर एक क्लस्टर महासंघ अथवा उत्पादक कंपनियां बना सकते हैं जिससे एक वेल्यू चेन बनायी जा सके और उत्पाद की खरीद, प्रोसेसिंग और विपणन में बड़े पैमाने का लाभ लिए जा सके।

vii. जेएलजी तथा जेएलजी की उभरती संरचनाओं से उत्साहपूर्वक अनुकुल उधार तंत्र के प्रति समवेदना तथा समझ निर्मित होने की आशा है जिससे जेएलजी के सदस्यों के बीच अधिकाधिक पारस्परिक प्रभाव एवं परस्पर निर्भरता बढ़ेगी।

5. बचत :

जेएलजी सदस्यों को नियमित रूप से बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सदस्यों के बीच नियमित बचत एवं थ्रिफ्ट की आदत को सुनिश्चित करने के लिए बैंक जेएलजी/जेएलजी के अलग-अलग सदस्यों द्वारा एक बचत खाता खुलवा सकते हैं। समूह बचत खातों के मामले में एलजी के स्तर पर उचित खाते रखे जाने चाहिए। तथापि समूह को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा उद्यम की आवश्यकता के ही अनुसार होगी न कि उनके द्वारा की गयी बचत के आधार पर।

6. संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) मॉडल

बैंक दोनों में से किसी एक मॉडल को अपना कर संयुक्त देयता समूह का वित्तपोषण कर सकते हैं।

मॉडल ए - जेएलजी में व्यक्तियों का वित्तपोषण करना

जेएलजी के प्रत्येक सदस्य को एक अलग केसीसी/जीसीसी दिया जाना चाहिए। वित्तपोषण करने वाला बैंक उगायी जानेवाली फसल, उपलब्ध खेती योग्य जमीन/ की जानेवाली गतिविधि और उस व्यक्ति की ऋण खपाने की क्षमता के आधार पर ऋण की आवश्यकता का आकलन करेगा। डेरी, मुर्गीपालन आदि जैसी कृषि से इतर गतिविधियों और कृषीतर (नॉन-फार्म) गतिविधियों के मामले में ऋण जरूरतों का इसी प्रकार मूल्यांकन किया जाएगा। सभी सदस्य संयुक्त रूप से मिलकर एक ऋण दस्तावेज निष्पादित करेंगे जिसके द्वारा समूह के सभी व्यक्तियों द्वारा लिए गए सभी ऋणों की चुकौती के लिए प्रत्येक सदस्य संयुक्त रूप से और पृथक रूप से जिम्मेदार होंगे।

आपसी समझौतों में व्यक्ति केसीसी द्वारा निर्मित की जानेवाली देयता सहित निर्मित की जानेवाली व्यक्तिगत ऋण देयता की राशि के बारे में सभी सदस्यों में सहमति सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। किसी सदस्य द्वारा समूह छोड़ने या इसमें शामिल होने के लिए एक नया ऋण करार किया जाना आवश्यक होगा जिसे बैंक शाखा के रिकार्ड में रखा जाएगा।

मॉडल बी - समूह के रूप में संयुक्त देयता समूह का वित्तपोषण करना

इस मॉडल में जेएलजी परिचालन की दृष्टि से एक उधारकर्ता यूनिट के रूप में कार्य करता है। समूह ऐसे ऋण के लिए पात्र होगा जो समूह के सभी सदस्यों की सम्मिलित ऋण जरूरत होगी। समूह की ऋण आवश्यकता का निर्धारण जेएलजी के सदस्यों के पास कुल मिलाकर उपलब्ध कृषि योग्य भूमि / कृषि क्षेत्र, कृषि से इतर क्षेत्र अथवा कृषीतर क्षेत्र के लिए की जानेवाली गतिविधि के आधार पर तय की जाएगी। सभी सदस्य संयुक्त रूप से दस्तावेज निष्पादित करेंगे और ऋण की जिम्मेदारी सभी की संयुक्त रूप से और पृथक रूप से होगी।

सृजित की जानेवाली ऋण देयता में प्रत्येक सदस्य की ऋण देयता के बारे में आपसी सहमति सुनिश्चित होनी चाहिए। समूह के संगठन में कोई परिवर्तन होने पर नए दस्तावेज निष्पादित किए जाने होंगे, जिसे बैंक शाखा द्वारा पंजीकृत किया जाएगा।

7. ऋण मूल्यांकन

बैंक कम वित्तपोषण अथवा अधिक वित्तपोषण से बचने के लिए एक सम्यक ऋण मूल्यांकन करें। जेएलजी की रेटिंग के प्रयोजन के लिए यथोचित मूल्यांकन टूल्स का प्रयोग किया जाए। जेएलजी को दिया जानेवाला वित्त एक ऐसा लचीला ऋण उत्पाद होना अपेक्षित है जिससे उसके

सदस्यों की कृषि, संबद्ध क्षेत्रों तथा कृषीतर गतिविधियों के अन्य उत्पादक प्रयोजनों के अलावा फसल उत्पादन, विपणन और निवेश ऋण सहित ऋण जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। ब्याज दर, जमानत संबंधी मार्जिन, प्रलेखीकरण, फसल बीमा योजना और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के अंतर्गत व्याप्ति, आदि सहित वित्तपोषण के सभी अन्य मानदंडों का बैंकों द्वारा अपने नियमित मानदंडों के अनुसार पालन किया जाए।

8. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य व्यवसाय गतिविधि स्थापित करने के लिए जेएलजी को ऋण

इस पर रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र पर समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देश लागू होंगे।

9. निगरानी और समीक्षा

i. जेएलजी समान बल के माध्यम से ऋण के उपयोग एवं समय पर चुकौती को सुनिश्चित करेगा। चूक के मामले में बैंक सभी सदस्यों को जिम्मेदार ठहरा सकता है।

ii. बैंक के ऋण अधिकारियों से अपेक्षित है कि वे जेएलजी नेता तथा अन्य सदस्यों के साथ सामंजस्य पूर्ण संबंध तथा निरंतर नजदीकी संपर्क एवं ताल्लुक रखें ताकि वे बैंक के अच्छे व विश्वसनीय ग्राहक बन सकें। जेएलजी द्वारा अच्छे ऋण इतिहास को बनाए रखे जाने से मूल्यांकन और निगरानी के रूप में बैंक की अपनी लेनदेन लागत घटती जाएगी।

10. क्षमता निर्माण

बैंक को स्टेकधारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने, बैंक के अपने स्टाफ तथा लक्षित समूह दोनों के लिए जेएलजी की अवधारणा के प्रति जागरूकता एवं सेंसीटाइजेशन जैसे क्षमता निर्माण उपाय करने चाहिए। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक का परिचालनगत स्टाफ उक्त अवधारणा एवं बैंकों और ग्राहकों के लिए लाभों से परिचित होना चाहिए। नाबार्ड अधिकाधिक जागरूकता एवं उन्मुखता के प्रसार के लिए बैंक के स्टाफ के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम में सहायता देना और पाम्फलेट/पर्चियां प्रकाशित करने, मीडियां (प्रिंट तथा अन्य) आदि जैसे अन्य प्रचार-प्रसार उपाय करने पर विचार कर सकता है।